सबके लिए आवास कार्यक्रम

अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या–1303/9–आ–1–1998

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक,
सहकारी आवास संघ,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 06 अप्रैल, 1998

विषय : प्रदेश के नगर क्षेत्रों में आश्रयविहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय व्यवस्था।

महोदय,

आश्रय योजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा आश्रयविहीन व्यक्तियों को रु0 5, रु0 10 व रु0 15, प्रतिदिन के भुगतान पर आश्रय आवंटित किए गये हैं। योजना के क्रियान्वयन तथा लागत वसूली में उपाध्यक्षों द्वारा इंगित कठिनाइयों के समाधान हेतु मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि :–

(1) लाभार्थियों की सहकारी आवास समितियां गठित की जायें तथा इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही हेतु केवल संदर्भित श्रेणी की आवास समितियों के पंजीकरण हेतु उप निबंधक, आवास एवं विकास परिषद के समस्त अधिकार, उ.प्र. सहकारी आवास संघ के महाप्रबन्धक (जो उप निबंधक स्तर के अधिकारी हैं) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1961 की धारा 3(2) सपठित धारा 2(4) के अर्न्तगत पदनामित किये जाने की कार्यवाही की जाए।

(2) इस प्रकार की सहकारी आवास समितियां यथा सम्भव एक प्रकार के ''होमोजीनियस'' ग्रुप पर आधारित हों, जिससे ये समितियां साझेदारी की सिद्धान्त पर आपसी हितों की सुरक्षा करते हुए वसूली आदि का उत्तरदायित्व भी सफलतापूर्वक वहन कर सकें।

(3) पंजीकरण निम्न सदस्यों की प्रबन्ध समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त किया जाएगा :–

(क) महाप्रबन्धक, आवास संघ।

(ख) ऋआवास आयुक्त के द्वारा नामित सदस्य।

(ग) प्राधिकरण के द्वारा नामित सदस्य।

उक्त के साथ–साथ यह प्रबन्ध समिति योजना के सम्पूर्ण निष्पादन के लिए भी उत्तरदायी होगी।

(4) समिति बनाने से सम्बन्धित समस्त औपचारिताएं पूर्ण कराने का दायित्व सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद का होगा। आवास संघ केवल सुविधाप्रदायक का कार्य करेगा।

(5) आवास संघ द्वारा किसी सम्पत्ति के विरूद्ध ही ऋण दिये जा सकने के कारण आवंटियों की समिति बनने के तुरन्त बाद हितबद्ध व्यक्तियों को विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के द्वारा भवन आवंटन पत्र उपलब्ध करा दिये जायेंगें।

(6) लाभार्थियों को योजना की समस्त जानकारी उपलब्ध कराने एवं ऋण स्वीकृत करने की समस्त औपचारिकता पूर्ण करने का दायित्व सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद का होगा। आवंटियों की सहकारी आवास समिति इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी।

(7) आवास संघ, हितबद्ध व्यक्ति तथा विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया जायेगा तथा स्वीकृत ऋण की पूर्ण धनराशि आवास संघ द्वारा लाभार्थी के स्थान पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(8) आवास संघ द्वारा दिये गये ऋण की वसूली का दायित्व आवास संघ का ही होगा तथा आवंटियों की सहकारी आवास समिति इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

सभी विकास प्राधिकरण तथा आवासएवं विकास परिषद अब तक आवंटित आश्रयों से सम्बन्धित आवंटियों की भी सहकारी आवास समितियां प्राथमिकता पर दिनांक 30.4.1998 तक गठन करा दी जायें, तथा उपरोक्त सभी कार्यवाहियां भी 15 मई 1998 तक पूर्ण कर ली जाये।

आवास आयुक्त तथा उ.प्र. सहकारी आवास संघ इसके क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक निर्देश तत्काल जारी कर शासन को अवगत करायें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–1303(1)/9–आ–1–1998 तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या–2027/9–आ–1–198

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3.प्रबन्ध निदेशक,
सहकारी आवास संघ,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 1998

विषय : ''सबके लिए आवास योजना'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998–99 में आश्रय योजना, लघु मध्यम आय वर्ग योजना तथा अन्य आय वर्ग योजना हेतु आवासीय इकाईयों के लक्ष्य का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा इस वित्तीय वर्ष से ''सबके लिए आवास योजना'' लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए उनकी क्षमतानुसार आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा आश्रय योजना, दुर्बल आय, अल्प आय, मध्यम आय तथा उच्च आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं, परन्तु लघु मध्यम आय वर्ग के लिए अभी भी आवासीय समस्या बनी है। यह वर्ग वह है जो लगभग रु0 1.5 से 2.5 लाख तक के निवेश से आवास चाहता है। वर्तमान वर्ष से इस वर्ग के लिए भी आवास की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक योजना के वर्तमान वित्तीय वर्ष 1998–99 हेतु अभिकरणवार लक्ष्य संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित किये गये है।

2– इस सम्बन्ध में अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कराने की व्यवस्था निम्नानुसार की जाये :–

आश्रय योजना

(क) इस योजना के अन्तर्गत सड़कों व नालों के किनारे सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके रह रहे व्यक्तियों तथा कमजोर वर्ग को उनकी क्षमतानुसार रु0 5, 10 व 15 प्रतिदिन भुगतान के आधार पर आश्रय उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ख) यह योजना प्रारम्भ में प्रदेश के 11 बड़े नगरों (नगर निगम क्षेत्रों)में संचालित की गयी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसका विस्तार कर इसे अन्य नगरों में भी लागू किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 2228/9–आ–1–97 दिनांक 01 मई, 1997 तथा इसके उपरान्त जारी अन्य शासनादेश एवं गाइड लाइन्स की प्रति मार्गदर्शन हेतु संलग्न है।

(ग) योजना के अन्तर्गत आश्रयों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को सहकारी आवास संघ से सामूहिक ऋण व्यवस्था एवं उसवकी वसूली शासनादेश संख्या 1303/9–आ–1–1998 दिनांक 07 अप्रैल, 1998 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(घ) सूडा द्वारा पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय, खड़न्जा, नाली, हैण्डपम्प व स्ट्रीट लाइट के रूप में रु0 8 से 10 हजार प्रति आवासीय इकाई की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

लघु मध्यम आय वर्ग योजना :–(भाऊराव देवरस योजना)

(क) इस योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले आवास अल्प आय वर्ग से उच्चतर श्रेणी के होगे। भूखण्ड का क्षेत्रफल सामान्यतः 80 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा। भूखण्ड पर न्यूनतम दो कमरे, रसोईघर, स्नानघर तथा शौचालय की व्यवस्था होगी। भविष्य में जीने के निर्माण हेतु प्रावधान रहेगा।

(ख) निर्मित आवासों की दो श्रेणियाँ होंगी :–

(1) सेमी फिनिस्ड, जिसकी लागत रूपये 1.5 लाख तक होगी।

(2) फिनिस्ड, जिसकी लागत रूपये 2 से 2.5 लाख तक होगी।

(ग) आवासों का निर्माण आवश्यक रूप से मॉग/पंजीकरण/सर्वेक्षण पर आधारित होगा। किसी स्थल विशेष पर योजना का आकार भूमि की उपलब्धता तथा मांग पंजीकरण के आधार पर निश्चित किया जायेगा।

(घ) विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा इन आवासों के निर्माण हेतु किसी प्रकार का ऋण नही लिया

जायेगा बल्कि स्ववित्त पोषण के आधार पर बनाये जाएगे। लाभार्थी के लिए ऋण की व्यवस्था विभिन्न ऋणदायी संस्थाओं यथा एस0बी0आई0 हाऊसिंग, पी0एन0बी0 के हाऊसिंग, पी0एन0बी0 हाऊसिंग, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ तथा एल0आई0सी0 हाऊसिंग आदि के सहयोग से करायी जायेगी।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्मित किये जाने वाले आवास निर्धारित समय में न केवल पूर्ण करने है, वरन् उनका विकास कार्य भी उसी अवधि में पूरा कराया जाना अनिवार्य है, यह आवश्यक है कि योजना के अन्तर्गत विकास/निर्माण कार्यों को सम्पादित कराने हेतु ''एकल निविदा'' पद्धति अपनाई जाये। बड़ी योजना होने पर यदि आवश्यक समझा जाये तो पॉकेट में विभाजित कर कार्य कराये जा सकते हैं परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक पॉकेट में सभी निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण रूप से सम्मिलित हों और प्रत्येक कार्य के लिए एक ही निविदा होगी।

अन्य आय वर्ग योजना :–

इन आवासों के निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सियों द्वारा अपने स्रोतों से स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में वित्त पोषण प्राप्त किया जायेगा।

3– ''सबके लिए आवास योजना'' के प्राधिकरणवार लक्ष्य विभिन्न प्राधिकरणों की लैण्ड बैंक क्षमता (अर्जित भूमि व अपयोग की गयी भूमि के अन्तर के आधार पर) तथा नगर की क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये हैं। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है, कि गुणवत्ता के साथ लक्ष्य की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

4– कृपया योजना क्रियान्वयन की प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवास विकास परिषद नगरवार लक्ष्य निर्धारित कर 10 जून, 1998 तक अवगत करायेंगे।

5– सभी प्राधिकरण इनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन का अनुमान निर्धारित कर आवास संघ, हुडको को अवगत करायेंगे। सूडा/डूडा से आश्रय योजना के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु प्रोजेक्ट बनाकर उन्हें शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

6– कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–2027(1)/9–आ–1–1998 तद्दिनांक –

1. निजी सचिव, मा0 आवास एवं नगर विकास मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, आवास एवं नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 सहकारी आवस संघ लि0, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, उ0प्र0 शासन।
5. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. आवास बन्धु के समस्त निदेशक।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

सूची

सबके लिए आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998–99 हेतु लक्ष्यों का निर्धारण

(आवासीय इकाईयों की संख्या)

क्रमांक	अभिकरण	आश्रय योजना	लघु मध्यम आय वर्ग योजना	अन्य आय वर्ग योजना
(क)	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	10000	5000	5000
(ख)	विकास प्राधिकरण			
1.	कानपुर	4500	3500	4000
2.	लखनऊ	4000	2500	2500
3.	वाराणसी	2250	1350	1000
4.	आगरा	2500	1500	1500
5.	इलाहाबाद	2500	1500	1500
6.	मेरठ	2500	1000	1000
7.	बरेली	1000	500	500
8.	गाजियाबाद	4000	1500	1500
9.	गोरखपुर	500	500	400
10.	अलीगढ़	250	200	150
11.	मुरादाबाद	450	500	500
12.	सहारनपुर	50	50	50
13.	झॉसी	50	50	50
14.	मंसूरी–देहरादून	100	100	100
15.	मथुरा–वृन्दावन	50	25	25
16.	फिरोजाबाद–शिकोहाबाद	25	25	25
17.	हरिद्वार–ऋषिकेश	50	25	25
18.	फैजाबाद	25	25	25
19.	बुलन्दशहर–खुर्जा	50	25	25
20.	रायबरेली	50	25	25
21.	उन्नाव–शुक्लागंज	25	25	25
22.	बांदा	25	25	25
23.	मुजफ्फरनगर	25	25	25
24.	हापुड़–पिलखुआ	25	25	25
(::::)	उ0प्र0 आवास संघ	5000		
	योग ::	40,000	20000	20000

नोट : 1. अन्य आय वर्ग योजना का तात्पर्य अल्प आय, मध्यम आय तथा उच्च आय वर्ग से है। (Units-Including plots)

2. उक्त के अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में 70,000 भवनों के निर्माण के लिए 140 विन्यास मानचित्र स्वीकृति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें औसतन 20 एकड़ क्षेत्रफल के विन्यास मानचित्र होंगे तथा प्रत्येक विन्यास मानचित्र में औसतन 500 इकाईयॉ होंगी।

संख्या–469 / आ0 बन्धु–1998

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 1998

विषय : "सबके लिए आवास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998–99 में आश्रय योजना, लघु मध्यम आय वर्ग योजना तथा अन्य आय वर्ग योजना हेतु आवासीय इकाईयों के लक्ष्य का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मेरे पत्र संख्या–2027 / 9–आ–1–1998, दिनांक 30 मई, 1998 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 1998–99 में सबके लिए आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। इस सम्बन्ध में वार्षिक लक्ष्य के आधार पर सितम्बर 1998 तथा दिसम्बर 1998 के लक्ष्य निर्धारित कर संलग्न किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस योजना को बजट भाषण में भी प्राथमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है जिसकी समीक्षा मुख्य सचिव तथा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा समय–समय पर की जाती रहेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त लक्ष्यों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त किया जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

SHELER FOR ALL

Sl. No.	Authority	ASHARAYA YOJNA			BHAU RAO DEVRAS YOJNA			OTHER INCOME GROUP		
		Target Upto 9/98 Cummulative (Nos.)	Target Upto 9/98 Cummulative (Nos.)	Target Upto 9/98 Cummulative (Nos.)	Target Upto 9/98 Cummulative(Nos.)	Target Upto 9/98 Cummulative (Nos.)	Target Upto 9/98 Cummulative (Nos.)	Target Upto 9/98 Cummulative (Nos.)	Target Upto 9/98 Cummulative (Nos.)	Target Upto 9/98 Cummulative (Nos.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kanpur	1125	2610	4500	875	2030	3500	1000	2320	4000
2.	Agra	625	1450	2500	375	870	1500	375	870	1500
3.	Varanasi	563	1305	2250	338	783	1350	250	580	1000
4.	Allahabad	625	1450	2500	375	870	1500	375	870	1500
5.	Lucknow	1000	2320	4000	625	1450	2500	625	1450	2500
6.	Meerut	625	1450	2500	250	500	1000	250	560	1000
7.	Ghaziabad	1000	2320	4000	375	870	1500	375	870	1500
8.	Bareilly	250	580	1000	125	290	500	125	290	500
9.	Gorakhpur	125	290	500	125	290	500	100	232	400
10.	Moradabad	113	261	450	125	290	500	125	290	500
11.	Aligarh	63	145	250	50	116	200	38	87	150

12.	Housing Board	2500	5800	10000	1250	2900	5000	1250	2900	5000
13.	Saharanpur	13	29	50	13	29	50	13	29	50
14.	Jhansi	13	29	50	13	29	50	13	29	50
15.	Dehradun	25	58	100	25	58	100	25	58	100
16.	Mathura	13	29	50	6	14	25	6	14	25
17.	Firazabad	6	14	25	6	14	25	6	14	25
18.	Haridwar	13	29	50	6	14	25	6	14	25
19.	Faizabad	6	14	25	6	14	25	6	14	25
20.	Buland Shahar	13	29	50	6	14	25	6	14	25
21.	Raibareilly	13	29	50	6	14	25	6	14	25
22.	Unnao	6	14	25	6	14	25	6	14	25
23.	Banda	6	14	25	6	14	25	6	14	25
24.	Muzaffar Nagar	6	14	25	6	14	25	6	14	25
25.	Hapur-Pikhua	6	14	25	6	14	25	6	14	25
26.	U.P. Avas Sangh	1250	2900	5000	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	10000	23200	40000	5000	11600	20000	5000	9280	20000

STATUS OF BHAU RAO DEORAS YOJNA

Sl. No.	Authority	Target Upto 9/98 Cumulative Nos.	Tanken Up for consti.	COMPLETED			Allotment Nos.	Possession Nos.	Achiev. 7/3 (%)	Allotment (8/7) (%)	Possess (9/7) (%)
				Upto Previous Month Nos.	During Peporting Nos.	Total (5+6) Nos.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Total

संख्या–4020 / 9–आ–1–1998

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 29 अक्टूबर, 1998

विषय : आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आवासीय योजना।

महोदय,

आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या : 2027 / 9–आ–1–1998 दिनांक : 30.5.1998 के द्वारा आवास एवं विकास परिषद / विकास प्राधिकरणों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा बैठक दिनांक : 24.9..1998 में कतिपय प्राधिकरणों के द्वारा सूचित किया गया कि उनके नगर के लिए निर्धारित लक्ष्य आवश्यकता से अधिक है जिससे प्राधिकरण में बड़ी संख्या में आवास अनिस्तारित रहेंगे।

उक्त सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि :– संख्या : 2027 / 9–आ–1–1998 दिनांक : 30.5.1998

1. आवासों का निर्माण शासन द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही किया जाएगा।

2. निर्मित आवासों में 25 प्रतिशत आवास हर समय शासनादेश संख्या : 2028 / 9–आ–1–1997 दिनांक : 1.5.1997 में इंगित उन व्यक्तियों को जो सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके रहने लगे हैं और उस सार्वजनिक भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अपरिहार्य है, के लिए उपलब्ध रख जायेंगे।

3 25 प्रतिशत आरक्षित भवनों के उपरानत अवशेष भवन पात्र व्यक्तियों के मध्य निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए आवंटित किये जा सकते है।

4 प्रदूषित वातावरण में रह रहे निवासियों को इन आवासों में स्थानान्तरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

संख्या : 2027 / 9–आ–1–1998

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 4020(1) / 9–आ–1–1998

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष, आवास संघ, उत्तर प्रदेश सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।
(2) आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या–712/9–आ–1–99

प्रेषक,

श्री रामबृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 1999

विषय : भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा अवगत कराया गया है कि भाऊराव देवरस में स्वयं वित्त पोषित होने के कारण लक्ष्य श्रेणी द्वारा 6–12 माह के सीमित समय में धन की व्यवस्था न कर पाने के कारण तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने में आ रही कठिनाईयों के कारण, निश्चित समय तथा मूल्य पर भवन उपबब्ध कराने के प्राधिकरण के आश्वासन के बावजूद लक्ष्य श्रेणी द्वारा आवेदन करने में कठिनाई आ रही है। इस विषय पर दिनांक 22.1.1999 को सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक में विस्तार से चर्चा हुई थी और यह सुझाव आया था कि इस योजना के अन्तर्गत भवनों के साथ–साथ भूखण्ड भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लक्ष्य श्रेणी के लोग योजना का लाभ उठा सकें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

1. भूखण्ड का आवंटन इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के तीन माह में आवंटी निर्माण यदि प्रारम्भ न करें तो वह अपात्र माना जाए।
2. भूखण्ड का विक्रय मूल्य रू0 75,000.00 (रूपये पचहत्तर हजार मात्र) से अधिक न रखा जाये।
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर से कम न रखा जाय।
4. आवंटी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के उपरान्त फ्री–होल्ड की कार्यवाही की जायेगी।
5. भूखण्ड पर अनुमन्य एफ.ए.आर. स्पष्ट करते हुए एक भवन मानचित्र का प्रारूप (Tentative Building Plan) भी आवंटी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी निर्धारित सेटबैक स्पष्ट दर्शा दिये जायें। अनुमन्य एफ.ए.आर. के तहत तथा निर्धारित सेटबैक के अन्तर्गत 3 मंजिल तक भवनों के निर्माण हेतु कोई भी भवन मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा।
6. विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार भूमि को विकसित किया जाएगा तथा विक्रय मूल्य अपरिवर्तनीय रहेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव